(वाद संख्या–2602/17)

22.11.2019

परिवादीगण, शैलेन्द्र कुमार व राजीव कुमार, उपस्थित हैं।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र पर मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

परिवादीगण को सुना।

परिवादीगण का कथन है कि उनका अपने पड़ोसी, धीरेन्द्र कुमार (अधिवक्ता), के साथ विवाद है। पूर्व में परिवादीगण की ओर से वर्ष, 2011 में उक्त धीरेन्द्र कुमार व उसकी पत्नी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जन–जाति थाना में शिकायत की गयी थी। बाद में धीरेन्द्र कुमार द्वारा लिखित माफीनामा देने के पश्चात् परिवादीगण द्वारा उक्त मामले में सुलह कर लिया गया। तत्पश्चात् उक्त कथित धीरेन्द्र कुमार द्वारा परिवादीगण के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 447/323/341/379/504/506/34 के अन्तर्गत पत्रकार नगर थाना कांड सं0–392/2016, दिनांक–24.12.2016 संस्थित कर दिया गया जिसमें पुलिस द्वारा धीरेन्द्र कुमार का पक्ष लेते हुए परिवादीगण को परेशान भी किया गया। परिवादीगण का कथन है कि पत्रकार नगर थाना कांड सं0–392/2016, दिनांक–24.12.2016 से उनका कुछ भी लेना–देना नहीं है।

परिवादीगण का कथन है कि वर्तमान में उसका अपने पड़ोसी धीरेन्द्र कुमार से कोई सम्पर्क नहीं रह गया है तथा वे अब प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र पर अग्रेत्तर कार्रवाई के इच्छुक नहीं हैं।

परिवादीगण के मौखिक अनुरोध पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादीगण को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>